(5)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED NO D.L —33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
# Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185 ] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2000/कार्तिक 12, 1922 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273
No. 185 ] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2000/KARTIKA 12, 1922 [N.C.T.D. No. 273

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2000

**सं. फा. 10/3/98/गृह(पु.)/स्था./खंड-1 (नि.) 55:**—दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1999 (2000 का दिल्ली अधिनियम सं. 1) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-1

1. **संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारंभः**—(1) ये नियम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग नियामावली, 2000 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएँ :**—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्या 1) से है।

(ख) अध्यक्ष का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से है।

(ग) "आयोग" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग से है।

(घ) "सरकार" का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 239 कक में संदर्भित उपराज्यपाल से है।

(ङ) "सदस्य" का अभिप्राय आयोग के सदस्य से है।

अध्याय-2

## आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें

3. **आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन :**—(1) आयोग के अध्यक्ष को प्रति माह निश्चित संचित 18,000/-रुपये (अठ्ठारह हजार रुपये केवल) दिए जाएगें यदि वह पूर्णकालिक सेवा में है।

(2) आयोग के प्रत्येक सदस्य को 14,000/—रु० (चौदह हजार रुपये केवल) की निश्चित संचित राशि दी जाएगी यदि वह पूर्णकालिक सेवा में है।

(3) यदि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अंशकालिक सेवा में है तो उन्हें क्रमशः 10,000/—रुपए (दस हजार रुपये केवल) तथा 7,500/—रुपये (सात हजार पाँच सौ रुपये केवल) मानेदय के रुपये में दिये जाएंगे।

(4) आयोग के अध्यक्ष के पास विभागाध्यक्ष का पद होगा और वह दिल्ली सरकार में समान पद वाले अधिकारियों पर उस समय लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसार वही सुविधाएँ मिलेंगी।

(5) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को यात्रा भत्ते तथा सवारी भत्ते से संबंधित सेवा शर्तें वही होगी जो सुपर टाइम स्केल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर तद्समय लागू है।

शर्त यह है कि आयोग का अध्यक्ष या सदस्य का पदभार संभालने से तुरंत पूर्व कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी पिछली सेवा के संबंध में यह राशि प्राप्त कर रहा था या ऐसा करने के योग्य था (अयोग्यता या क्षति पेंशन के अतिरिक्त) पेंशन लेने के लिए चुना गया था तो आयोग के अध्यक्ष या उसके सदस्य के रूप में उसकी सेवा से संबंधित कुल पारिश्रमिक जैसी भी स्थिति हो पिछले लिए गए वेतन से अधिक नहीं होगी। (उसके द्वारा प्राप्त संचित शुल्क जमा पेंशन पिछले वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए)।

4. **आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को अवकाश प्रदान करना :**—पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा सदस्य निम्नानुसार अवकाश प्राप्त करने के हकदार होंगे :—

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के अनुसार अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश तथा परिवर्तित अवकाश तथा

(ख) असाधारण अवकाश जो कि समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के अधीन अस्थायी सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं।

(2) अध्यक्ष को सदस्यों की छुट्टी स्वीकृत करने तथा सरकार को अध्यक्ष की छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार है।

5. **आयोग के सचिव के वेतन तथा भत्ते :**—आयोग के सचिव के वेतन तथा भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति की आयु, पेंशन तथा सेवा निवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य लाभ सरकार के अधिकारी के संबंध में कैडर पर तद्समय लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसार विनियमित होंगे।

**आयोग का स्टाफ :**— (क) दिल्ली अल्पसंख्यक (अस्थायी) आयोग के लिए स्वीकृत स्टाफ दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के लिए स्वीकृत स्टाफ माल लिया जाएगा तथा सरकार के कर्मचारियों की भांति अपने पद तथा रैंक के अनुसार वेतन तथा भत्ते पाएंगे।

(ख) आयोग के विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या तथा वेतनमान समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत पद तथा वेतनमान के अनुसार होंगे।

(ग) आयोग के स्टाफ के पद सरकार के सम्बद्ध कैडरों से भरे जायेंगे जहाँ पर ऐसे पद विद्यमान हैं। अन्य पद सरकार में उसी पद नाम वाले पद के वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार भरे जाएंगे।

(घ) वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति की आयु, पेंशन तथा सेवा निवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य से संबंधित मामला आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी के सेवा शर्तें सरकार में "क" "ख" तथा "ग" वर्ग की सेवाओं में सम्बद्ध कैडरों के अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किए जायेंगे। अन्य पदों की सेवा शर्तें सरकार के समान पद नाम वाले पदों के समान होगी।

6. **लेखा एवं लेखा परीक्षा :**—(1) आयोग का प्रति वित्तीय वर्ष के लिए लेखों का वार्षिक विवरण प्रपत्र "क" सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर यथा आशोधित मे इस संबंध में सचिव द्वारा प्राधिकृत आयोग के सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा।

(2) आयोग द्वारा भली-भाँति अनुमोदित लेखों का वार्षिक विवरण सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक सचिव द्वारा सरकार को भेजा जाएगा।

(3) आयोग सरकार को किए गए खर्च तथा वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान खर्च किए जाने वाले लेखों की प्रगति का तिमाही विवरण/समीक्षा या जब भी सरकार मांगे, सरकार को भेजेगा।

(4) आयोग यह प्रमाणित करते हुए कि बजट/अनुदान शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है वार्षिक रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(5) सचिव आयोग के लेखों के रखरखाव की देखरेख करेगा तथा वित्तीय विवरणों तथा विवरणिकाओं का संचालन तथा यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित आयोग के सभी लेखों, खाते, कागजातों तथा संबंधित वाउचरों को अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए रखेगा।

(6) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में संदर्भित लेखों का वार्षिक विवरण सचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रमाणीकृत होगा।

(7) लेखों का वार्षिक विवरण, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा नियुक्त लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(8) लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने, रिपोर्ट में बताई गई किसी त्रुटि तथा अनियमितता को आयोग को तीन महीने के भीतर दूर करना होगा तथा इस पर की गई कार्यवाही के बारे में सरकार तथा परीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर.एन. शर्मा, प्रमुख सचिव (गृह)

## HOME DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 3rd November, 2000

**No. F.10/3/98/Home (P)/Estt./Part-I (Rules)/55.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Delhi Minorities Commission Act, 1999 (Delhi Act No 1 of 2000), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, namely —

### CHAPTER-I

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Delhi Minorities Commission Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Delhi Minorities Commission Act, 1999 (Delhi Act No. 1 of 2000),

(b) 'Chairperson' means the Chairperson of the Delhi Minorities Commission appointed under sub-section (2) of section 3 of the Act;

(c) 'Commission' means the Delhi Minorities Commission constituted under section 3 of the Act;

(d) 'Government' means the Lieutenant Governor referred to in Article 239AA of the Consititution;

(e) 'Member' means a member of the Commission

### CHAPTER-II

### SALARY AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE OF THE CHAIRPERSON AND MEMBERS OF THE COMMISSION

3. **Salary of Chairperson and Members of the Commission.**—(1) There shall be paid to the Chairperson of the Commission a fixed consolidated amount of Rs 18,000 (Rupees Eighteen Thousand) only per mensem if he/she renders full time service

(2) There shall be paid to each Member of the Commission a fixed consolidated amount of Rs. 14,000 (Rupees Fourteen Thousand) only per mensem if he/she renders full time service

(3) If the Chairperson or Members of the Commission render part-time service to the Commission they shall be paid monthly amount at the rates of Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand) only and Rs. 7,500 (Rupees Seven Thousand and Five Hundred) only as honorarium respectively.

(4) The Chairperson of the Commission shall have the status of Head of Department and will enjoy the same facilities being accorded as per rules and regulations as are for the time being applicable to the officers of Delhi Government in corresponding capacity.

(5) The conditions of service relating to travelling allowances and conveyance facilities to which the Chairperson and Members of the Commission will be entitled shall be such as are, for the time being, applicable to an IAS officer of Super-time scale

Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office of the Chairperson or Member of the Commission, was in receipt of, or being eligible to receive, had elected to draw pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or under the Government of a State, his/her total emoluments in respect of service as the Chairperson or as Member of the Commission, as the case may be, shall not exceed the amount drawn last as pay, that is to say, the consolidated fee plus pension drawn by him/her shall not exceed the last pay drawn

4 **Grant of leave to Chairperson and Members of the Commission.**—(1) A full time Chairperson and Member shall be entitled to leave as follows .—

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time;

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Government servants under the Central Civil Servies (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time; and

(2) The Chairperson shall he the authority to sanction leave to Members, and the Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson

5. **Salary and allowances of the Secretary of the Commission.**—(1) Salary and allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service of Secretary of the Commission shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to an officer of the Government in his respective cadre.

**Staff of the Commission.**— (2) (a) The staff sanctioned for the Delhi Minorities (Provisional) Commission shall be deemed to have been sanctioned for the Delhi Minorities Commission and shall draw their salary and allowances according to their posts/ranks as being drawn by the employees of the Government.

(b) The number of posts and the scales of pay of various categories of posts in the Commission shall be such as may be sanctioned by the Government from time to time.

(c) The posts in the staff of the Commission shall he filled up from the respective cadres of the Government wherever they exist Other posts shall be filled as per the existing recruitment rules in respect of posts of same nomenclature in the Government

(d) The condition of service of the officers and other employees of the Commission in matter relating to pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules as applicable to officers/officials of the respective cadres in the Government belonging to Group 'A', 'B' and 'C' services For other posts, the service conditions shall be similar to posts of same nomenclature in the Government

6 **Accounts and Audit.**—(1) The annual statement of accounts of the Commission for every financial year shall be prepared in Form 'A' as may be modified from time to time with the approval of the Government, by the Secretary or such officer of the Commission as may be authorized by the Secretary in this behalf.

(2) The annual statement of accounts duly approved by the Commission shall be submitted by the Secretary to the Government by such date as may be specified by the Government

(3) The Commission shall forward to the Government quarterly reviews of the progress of the expenditure incurred and the expenditure likely to be incurred during the remaining part of the financial year or as and when called by the Government

(4) The Commission shall furnish annually the utilization certificate certifying that the budget/grant has been utilized as per terms and conditions

(5) The Secretary shall supervise the maintenance of the accounts of the Commission and the compilation of the financial statements and returns and shall ensure that all accounts books, connected vouchers and other documents and papers of the Commission required by the audit officer for the purpose of auditing the accounts of the Commissinn are placed at the disposal of that officer

(6) The annual statement of accounts referred to in suh-section (1) of Section 12 of the Act shall be signed and authenticated by the Secretary

(7) The annual statement of accounts shall be submitted to the audit officer appointed by the Comptroller and Auditor General of India as per sub-section (2) of Section 14 of the Act.

(8) On receipt of the audit report, the commission shall within three months remove any defect or irregularity pointed out therein and report to the Government and to the audit officer about the action taken by it thereon.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R N. SHARMA, Dy. Secy

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2000

**सं. 23( 15 )( 7 )/2000/विसस-2/प.शा./8087.**—उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 6 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का सातवां अधिवेशन 21 नवम्बर, 2000 को अपराह्न 2.00 बजे असैम्बली हॉल, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में आहूत करता हूं।

विजय कपूर
उपराज्यपाल, दिल्ली।"
एस० के० शर्मा, सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd November, 2000

**No. 23 (15)(7)/2000-LAS-II/TO/8087.**—The following order of the Lieutenant Governor is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by Section 6(1) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, I hereby summon the Seventh Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, to meet at Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054 on 21st November, 2000 at 2 00 P M.

VIJAI KAPOOR
Lt Governor, Delhi."
S K SHARMA, Secy

**ऊर्जा विभाग**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2000

**सं. फा.** 11/44/98-ईबी/13158.— दिल्ली विद्युत सुधार अध्यादेश, 2000 (2000 की संख्या-3) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल इसके द्वारा यह नियत करते हैं कि पूर्वोक्त अध्यादेश 3 नवम्बर, 2000 से प्रभावी होगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,
के० एस० सिंह, अतिरिक्त सचिव

**DEPARTMENT OF POWER**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd November, 2000

**No. F. 11/44/98-EB-13158.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Delhi Electricity Reform Ordinance, 2000 (No. 3 of 2000), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 3rd day of November, 2000 as the date from which the said Ordinance shall come into force.

By Order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

K. S. SINGH, Addl Secy

**कार्यालय उपायुक्त पुलिस : यातायात**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2000

**संख्या 15862-16012/यात०अभि०शा०( डी-2 ).**—क्योंकि महरौली-महिपालपुर रोड पर यातायात के निर्बाध प्रवाह और सड़क प्रयोगकर्ताओं व नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

और क्योंकि महरौली-महिपालपुर रोड पर भारी मालवाहक वाहन व मध्यम मालवाहक वाहनों के चलने के कारण सघनता व सड़क प्रयोगकर्ताओं तथा निवासियों के जीवन को खतरे में डालने की एक बड़ी समस्या के रूप में पैदा हुई है।

अत: मैं, संजय बेनीवाल, उपायुक्त पुलिस यातायात, दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियमन 1980 की धारा 30(1) जिसके अंतर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा महरौली-महिपालपुर रोड पर भारी मालवाहक वाहन तथा मध्यम मालवाहक वाहनों के चलने पर प्रात: 6.00 बजे से सायं 9.00 बजे तक प्रतिबंधित करता हूं।

सामान्य जनता को सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व तमाम थानों के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी।

संबंधित अधिकरण एवं सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन-साधारण को सूचनार्थ एवं सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगवाएंगे।

यह आदेश तीन नवम्बर सन् 2000 को लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय को मोहर के साथ 3-11-2000 दिनांक को जारी किया गया।

संजय बेनीवाल, उपायुक्त पुलिस : यातायात

**OFFICE OF THE DY. COMMISSIONER OF POLICE : TRAFFIC**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd November, 2000

**No. 15862-16012/TE(D-II).**—Whereas it is necessary to ensure the smooth flow of traffic and safety of road users on Mehrauli-Mahipalpur Road, Delhi

And whereas the problem of congestion/traffic holds up on Mehrauli-Mahipalpur Road, Delhi due to the movement of Heavy Goods vehicles and Medium Goods vehicles has assumed serious proportions and is endangering the life of road users

Now, therefore, I, Sanjay Baniwal, Dy. Commissioner of Police, Traffic, Delhi in exercise of the power conferred upon me under regulation 30(1) of the Delhi control of vehicular and other traffic on road and street regulation 1980 do hereby prohibit the plying and parking of Heavy Goods Vehicles and Medium Goods Vehicles on Mehrauli-Mahipalpur Road, Delhi from 6 A M. to 9 P.M

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the Notice Boards of the offices of all Distt DCsP and all Police Stations in Delhi/New Delhi

The concerned civic agency and road maintaining authorities shall erect corresponding sign boards indicating the restrictions in the area for the information and convenience of all concerned

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on the 3rd day of November, 2000.

SANJAY BANIWAL, Dy Commissioner of Police : Traffic

## गृह (पुलिस-II) विभाग

### अधिसूचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2000

**सं. फा. 3/3/98-गृ. पु. II/7279.**—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 30-7-93 के अधिसूचना सं. सा. का. नि. 526(अ) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त हरियाणा अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जनता की जीवन सम्बन्धी सेवाओं को बनाये रखने के लिए विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को अनिवार्य सेवा घोषित किया गया है इस प्रकार दिल्ली विद्युत बोर्ड, बदरपुर ताप बिजली संयन्त्र से जुड़े कर्मचारियों तथा नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड के विद्युत आपूर्ति और वितरण से जुड़े कर्मचारियों द्वारा हड़ताल या आन्दोलन करने पर अधिसूचना सं. फा. 3/3/98-गृ.पु. II/7101, दिनांक 28-10-2000 से छह माह के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है।

अब जबकि, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त हरियाणा आवश्यक सेवा अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 40) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली विद्युत बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत करते हैं और सामान्य और विशेष आदेश द्वारा निर्देश देते हैं कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों जो ऐसे रोजगार से सम्बन्धित हैं वे 28-10-2000 से लागू अधिसूचना सं. फा. 3/3/98/गृ.पु. II/7101, दिनांक 28-10-2000 से घोषित छह माह के दौरान ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से जो कि ऐसे आदेश में उल्लिखित हैं से बाहर नहीं जाएगा।

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | वर्तमान पद/नियुक्ति |
|---|---|---|
| 1. | श्री के. एस. सिंह | अति. सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। |
| 2. | श्री विश्व मोहन | उप-सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। |
| 3. | श्री वाई. पी. सिंह | सदस्य (तक.)-I, दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 4. | श्री एम. के. गुप्ता | सदस्य (तक.)-II, दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 5. | सुश्री बिन्दू अग्निहोत्री | सदस्य (वित्त) और सदस्य (प्र.), का कार्य देख रही है, दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 6. | श्री एन. पी. सिंह | अति. महाप्रबन्धक (प्र.), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 7. | श्री के. आर. मीना | अति. महाप्रबन्धक (मु.), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 8. | श्री डी. वी. भाटिया | मुख्य अभियंता (निर्माण), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 9. | श्री जी. पी. गोयल | मुख्य अभियंता (टी एण्ड टी) और (आर. एण्ड डी.), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 10. | श्री एच. आर. अग्रवाल | मुख्य अभियंता (वितरण-II), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 11. | श्री एस. आर. सचदेवा | मुख्य अभियंता (आरपीएच), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 12. | श्री एस. आर. सेठी | मुख्य अभियंता (वितरण), पूर्वी और सुधार तथा पुनर्गठन का काम, दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 13. | श्री आर. सी. खेर | मुख्य अभियंता (वितरण), उत्तर पश्चिम, दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 14. | श्री जी. डी. अग्रवाल | मुख्य अभियंता (जी.टी.पी.एस), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 15. | श्री डी. पी. सिंह | मुख्य अभियंता (आई.पी. स्टेशन), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 16. | श्री वाई. पी. मिनोचा | मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) और मु. अ. (सिविल) का काम देख रहे हैं दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 17. | श्री एस. के. मेहता | मुख्य अभियंता (भंडार), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 18. | श्री एस. के. बहल | मुख्य अभियंता (ओ. एण्ड एम.), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 19. | श्री एस. सी. चटोपाध्याय | मुख्य अभियंता (400 के.वी.), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 20. | श्री एस. पी. गुप्ता | मुख्य अभियंता (योजना), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |
| 21. | श्री पी. एस. बावा | मुख्य अभियंता (वितरण-II), दिल्ली विद्युत बोर्ड। |

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर,
जी. एल. मीणा, उप-सचिव (गृह)

## HOME (POLICE-II) DEPARTMENT
## NOTIFICATION

Delhi, the 3rd November, 2000

**No. F. 3/3/98/HP. II/7279.**—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi in exercise of powers conferred upon him by section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974), as extended to the National Capital Territory of Delhi, vide Govt of India, Ministry of Home Affairs, notification No. GSR. 526(E) dated the 30th July, 1993 has declared the generation, supply and distribution of power as Essential Services for maintaining services necessary for the life of the public in the National Capital Territory of Delhi and prohibited the strikes or agitations by any employees of the Delhi Vidyut Board, Badarpur Thermal Power Plant and employees of New Delhi Municipal Corporation and Delhi Cantonment Board engaged in the supply and distribution of power for a period of six months with effect from 28-10-2000, vide his notification No F. 3/3/98/HP. II/7101 dated 28-10-2000.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred upon him by section 4 of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No 40 of 1974) as extended to National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorise the following officers of the Department of Power, Government of National Capital Territory of Delhi and the Delhi Vidyut Board to also direct by general or special order, that any person or persons engaged in such employments shall not depart out of such area or areas as may be specified in such order during the proclamation period of six months with effect from 28-10-2000 vide notification No. F. 3/3/98/HP. II/7101 dated 28-10-2000 —

| Sr No | Name of Officer | Present Designation/Posting |
|---|---|---|
| 1. | Shri K. S. Singh | Addl. Secretary (Power) Govt. of NCT of Delhi. |
| 2. | Shri Vishwa Mohan | Deputy Secretary (Power) Govt. of NCT of Delhi. |
| 3. | Shri Y. P. Singh | Member (Tech )-I, Delhi Vidyut Board. |
| 4 | Shri M. K Gupta | Member (Tech )-II, Delhi Vidyut Board |
| 5. | Ms. Bindu Agnihotri | Member (F) and looking after the work of Member (Admn.), Delhi Vidyut Board. |
| 6. | Shri N. P Singh | Addl G.M. (Admn.), Delhi Vidyut Board. |
| 7 | Shri K. R. Meena | Addl G.M. (HQ). Delhi Vidyut Board. |
| 8 | Shri D V. Bhatia | Chief Engineer (Const). Delhi Vidyut Board. |
| 9 | Shri G P. Goel | Chief Engineer (T & T) and (R & D) Delhi Vidyut Board |
| 10. | Shri H. R. Aggarwal | Chief Engineer (Distribution-II) Delhi Vidyut Board |
| 11 | Shri S R. Sachdeva | Chief Engineer (RPH), Delhi Vidyut Board |
| 12. | Shri S. R. Seini | Chief Engineer (Distribution) East and looking after the work of Reforms and Restructuring Delhi Vidyut Board. |
| 13 | Shri R. C. Kher | Chief Engineer (Distribution) NW, Delhi Vidyut Board. |
| 14 | Shri G D Aggarwal | Chief Engineer (GTPS), Delhi Vidyut Board. |
| 15. | Shri D P. Singh | Chief Engineer (I P Station), Delhi Vidyut Board |
| 16. | Shri Y P. Minocha | Chief Engineer (Project) and looking after the work of CE (Civil), Delhi Vidyut Board. |
| 17. | Shri S K. Mehta | Chief Engineer (Stores), Delhi Vidyut Board. |
| 18. | Shri S K. Behl | Chief Engineer (O & M), Delhi Vidyut Board |
| 19 | Shri S C Chatopadhyay | Chief Engineer (400KV), Delhi Vidyut Board |
| 20 | Shri S P Gupta | Chief Engineer (Plg ), Delhi Vidyut Board |
| 21. | Shri P S Barua | Chief Engineer (Distribution I), Delhi Vidyut Board |

By Order and in the Name of the Lt Governor of
the National Capital Territory of Delhi
G L MEENA, Dy Secy. (Home)

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054